न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

.........गिरधारी......... बनाम ....मदन.........

किस्म मुकदमा ....225 RSTA......... मु. नं0 ....94......... वर्ष.........2018.........

दिनांक	आज्ञा पत्र	
13-9-18	अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलांट को सुना गया। वकील अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने एकतरफा स्थगन आदेश पारित किया है। स्थगन आदेश के उपरान्त 24 तारिख पेशीयां एवं लगभग 3 साल का समय अप्रार्थीगण की तलबी में व्यतीत हो गया। इसके उपरान्त पत्रावली दिनांक 28.04.2017 से उभयपक्ष की बहस में चल रही है। परन्तु आज दिनांक तक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण नहीं हुआ है। अतः आदेश 39 नियम 3क की अनुपालना में इस आदेश की कियान्विति स्थगित की जाये। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विचारण न्यायालय की सम्पूर्ण आदेशिका का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने दिनांक 04.12.2014 को एकतरफा स्थगन आदेश पारित किया है जिसके उपरान्त तलबी में 24 तारिख पेशीयां दी गई है एवं 3 साल का समय तलबी में लगा है। इसके उपरान्त लगभग 16 महिने से पत्रावली बहस हेतु चल रही है। ऐसी स्थिति में आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. की पालनार्थ प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 110/2014 प उनवान मदनलाल बनाम गिरधारी बाबत भूमि खसरा नम्बर 55,56 रकबा 2.53 हैक्टेयर व 2.57 हैक्टेयर ग्राम चैलासी तहसील धोद में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 04.12.2014 की कियान्विति स्थगित की जाकर पत्रावली विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि उनके न्यायालय में यह आदेश प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन की अवधि में उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.09.2018 को उपस्थित होवें। अहलमद को निर्देशित किया है कि 28.09.2018 से पूर्व इस आदेश की सत्यप्रति पत्र के साथ विचारण न्यायलय को आवश्यक रूप से भिजवाये। निर्णय आज दिनांक .....13-9-18..... को सरे इजलास सुनाया गया। 13/9/18 (करतार सिंह पूनियाँ)	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official